न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां (डीडवाना—कुचामन)

पीठासीन अधिकारी : श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

वादीगणः—

1. गजेन्द्रसिंह पुत्र लालसिंह
2. दीपेन्द्रसिंह पुत्र लालसिंह
3. मुलसिंह पुत्र लालसिंह
4. शिवदयालसिंह पुत्र लालसिंह
5. सुन्दरसिंह पुत्र लालसिंह
6. पूजाकंवर पुत्री लालसिंह
7. विनोदकंवर पुत्री लालसिंह
   जाति राजपूत निवासीयान ग्राम घाटवा तहसील कुचामन सिटी।

बनाम

प्रतिवादीगणः—

1. गंगासिंह पुत्र नारसिंह जाति राजपूत
2. दयालसिंह पुत्र भागीरथसिंह जाति राजपूत
3. दाखाकंवर पत्नि नारसिंह जाति राजपूत
4. पप्पुराम दत्तकपुत्र बालूराम जाति कुम्हार
5. बजरंगसिंह पुत्र नारसिंह जाति राजपूत
6. भंवरकंवर पुत्री भागीरथसिंह जाति राजपूत
7. भंवरसिंह पुत्र भागीरथसिंह जाति राजपूत
8. भवानीसिंह पुत्र नारसिंह जाति राजपूत
9. मालसिंह पुत्र नारसिंह जाति राजपूत
10. मोहनीदेवी पुत्री बालूराम जाति कुम्हार
11. लक्ष्मीदेवी पुत्री बालूराम जाति राजपूत
12. लिछमणसिंह पुत्र नारसिंह जाति राजपूत
13. संजूकंवर पुत्री भागीरथसिंह जाति राजपूत
    निवासीयान ग्राम घाटवा तहसील कुचामन सिटी।
14. भूमिधारी जरिये तहसीलदार कुचामन सिटी।

दावा वास्ते भू—विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :— श्री सुरेन्द्र सेवर अधिवक्ता वादीगण

मुकदमा नम्बरः 100/2023 निर्णय दिनांकः— 09.12.2023

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:39:56 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम घाटवा तहसील कुचामन सिटी की सरहद में कृषि भूमि नवीन खसरा नम्बर [illegible]99 रकबा 4.34 हैक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। उपरोक्त वर्णित खसरा आराजीयात भूमि में वादी गजेन्द्रसिंह 81/1519 हिस्सा, वादी दीपेन्द्रसिंह 81/1519 हिस्सा, वादी मुलसिंह 81/1519

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

हिस्सा, वादी शिवदयालसिंह 81/1519 हिस्सा, वादी सुन्दरसिंह 81/1519 हिस्सा, वादीया पूजाकंवर 81/1519 हिस्सा व वादीया विनोदकंवर 81/1519 हिस्सा भूमि के काबिज कृषक खातेदार चले आ रहे है। उक्त आराजी भूमि में 1.62 हैक्टर भूमि वादीगण की माता संतोषकंवर पत्नि लालसिंह के बतौर विक्रय पत्र क्रय कर विक्रित भू–भाग का मौके पर भौतिक कब्जा बरोज खरीद प्राप्त कर लिया तथा वादीगण की माता व भूमि के दीगर खातेदारान ने आपसी सहमति से मौके पर विभाजन कर भूमि की सीमा चिन्हित कर कच्ची पक्की सीव माठ कायम कर ली जिसपर वादीगण की माता आजीवन काबिज कृषक रही। वादीगण की माता संतोषकंवर का स्वर्गवास होने पर उक्त आराजी भूमि वादीगण को जरिये विरासत प्राप्त हुई जिसपर वादीगण निरंतर एवं निर्विवाद रूप से काबिज कृषक खातेदार चले आ रहे है। वादीगण के खातेदारी अधिकारों की उक्त भूमि मौके पर एक ही जगह एक ही चक में स्थित चली आ रही है। वादीगण अपने खातेदारी अधिकारों की संयुक्त भूमि 1.62 हैक्टर भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स भू–विभाजन करवाने के कानूनी अधिकारी वादीगण ने अपनी भूमि के विधिवत भू–विभाजन करने हेतु प्रतिवादीगण को कहा तो इतने दिन तो आश्वासन देते रहे तथा अब भू–विभाजन कराने से स्पष्ट इंकार हो गये है तथा प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की उक्त भूमि की सींव माठ के साथ छेडछाड करना शुरू कर दिया है। इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वह स्वयं या अपने एजेन्टों के मार्फत वादीगण के कब्जा काश्त व खातेदारी अधिकारों की भूमि में दखल नहीं करे। प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 सहखातेदार होने से एवं प्रतिवादी संख्या 14 प्रतिनिधि सरकार होने से आवश्यक पक्षकार प्रतिवादीगण है। राजस्व ग्राम घाटवा तहसील कुचामन सिटी की सरहद में कृषि भूमि नवीन खसरा नम्बर 599 रकबा 4.34 हैक्टर भूमि में वादीगण की 1.62 हैक्टर भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स भू–विभाजन की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण फरमाकर वादीगण की अलग जोत कायम करने हेतु तहरीर तहसीलदार कुचामन सिटी को जारी करने एवं वादीगण की उक्त भूमि में प्रतिवादीगण स्वयं या अपने एजेन्टों के मार्फत दखलंदाजी नहीं करे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण फरमाने की इस्तदुआ की।

वादीगण का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के सम्मन अखबार दैनिक नवज्योति दिनांक 19 अगस्त 2023 में प्रकाशित करवाने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 14 का तामील शुदा सम्मन प्राप्त। साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू.1 वादी मुलसिंह, पी.डब्ल्यू.2 वादी सुन्दरसिंह, पी.डब्ल्यू.3 वादी गजेन्द्रसिंह के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किये। ओर साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य वादी बंद की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी तहसीलदार कुचामन सिटी से बंटवार प्रस्ताव मंगवाने हेतु सहमत होने पर तहसीलदार कुचामन सिटी से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार कुचामन सिटी ने बंटवारा प्रस्ताव पेश किया। पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई।

अधिवक्ता वादी की अंतिम बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी बंटवारा प्रस्ताव अनुसार भू–विभाजन करवाने हेतु सहमत। पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचनानुसार राजस्व ग्राम घाटवा तहसील कुचामन सिटी की सरहद में कृषि भूमि नवीन खसरा नम्बर 599 रकबा 4.34 हैक्टर भूमि में वादीगण की भूमि का मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकित भूमियों अनुसार भू–विभाजन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:39:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

आदेश

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि राजस्व ग्राम घाटवा तहसील कुचामन सिटी की सरहद में कृषि भूमि नवीन खसरा नम्बर 599 रकबा 4.34 हैक्टर भूमि में मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकित भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर भू–विभाजन किया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में अंकन करने हेतु तहसीलदार को आदेश दिये जाते हैं। बंटवारा प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी पेश करने पर डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 09.12.2023 को लिखाया जाकर सरे इजलास राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (डीडवाना–कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:39:56 IST
Reason: SelfAttested

अदालतः— उपखण्ड अधिकारी नावां, जिला डीडवाना—कुचामन, राज.
अज अदालत :— श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

वादीगणः—

1. गजेन्द्रसिंह पुत्र लालसिंह
2. दीपेन्द्रसिंह पुत्र लालसिंह
3. मुलसिंह पुत्र लालसिंह
4. शिवदयालसिंह पुत्र लालसिंह
5. सुन्दरसिंह पुत्र लालसिंह
6. पूजाकंवर पुत्री लालसिंह
7. विनोदकंवर पुत्री लालसिंह
   जाति राजपूत निवासीयान ग्राम घाटवा तहसील कुचामन सिटी।

बनाम

प्रतिवादीगणः—

1. गंगासिंह पुत्र नारसिंह जाति राजपूत
2. दयालसिंह पुत्र भागीरथसिंह जाति राजपूत
3. दाखाकंवर पत्नि नारसिंह जाति राजपूत
4. पप्पुराम दत्तकपुत्र बालूराम जाति कुम्हार
5. बजरंगसिंह पुत्र नारसिंह जाति राजपूत
6. भंवरकंवर पुत्री भागीरथसिंह जाति राजपूत
7. भंवरसिंह पुत्र भागीरथसिंह जाति राजपूत
8. भवानीसिंह पुत्र नारसिंह जाति राजपूत
9. मालसिंह पुत्र नारसिंह जाति राजपूत
10. मोहनीदेवी पुत्री बालूराम जाति कुम्हार
11. लक्ष्मीदेवी पुत्री बालूराम जाति राजपूत
12. लिछमणसिंह पुत्र नारसिंह जाति राजपूत
13. संजूकंवर पुत्री भागीरथसिंह जाति राजपूत
    निवासीयान ग्राम घाटवा तहसील कुचामन सिटी।
14. भूमिधारी जरिये तहसीलदार कुचामन सिटी।

मुकदमां नम्बर :— 100/2023 निर्णय दिनांक :— 09.12.2023

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:39:56 IST
Reason: SelfAttested

इनफिसाल कतई रूबरू.....बहाजरी श्री सुरे[illegible] अधिवक्ता वादीगण को डिक्री दी जाती हैं कि :—

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि राजस्व ग्राम घाटवा तहसील कुचामन सिटी की सरहद में कृषि भूमि नवीन खसरा नम्बर 599 रकबा 4.34 हैक्टर भूमि में मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकित भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर भू—विभाजन किया जाता हैं। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

अदालतः— उपखण्ड अधिकारी नावां, जिला डीडवाना—कुचामन, राज.
अज अदालत :— श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

वादीगणः—

1. गजेन्द्रसिंह पुत्र लालसिंह
2. दीपेन्द्रसिंह पुत्र लालसिंह
3. मुलसिंह पुत्र लालसिंह
4. शिवदयालसिंह पुत्र लालसिंह
5. सुन्दरसिंह पुत्र लालसिंह
6. पूजाकंवर पुत्री लालसिंह
7. विनोदकंवर पुत्री लालसिंह
   जाति राजपूत निवासीयान ग्राम घाटवा तहसील कुचामन सिटी।

बनाम

प्रतिवादीगणः—

1. गंगासिंह पुत्र नारसिंह जाति राजपूत
2. दयालसिंह पुत्र भागीरथसिंह जाति राजपूत
3. दाखाकंवर पत्नि नारसिंह जाति राजपूत
4. पप्पुराम दत्तकपुत्र बालूराम जाति कुम्हार
5. बजरंगसिंह पुत्र नारसिंह जाति राजपूत
6. भंवरकंवर पुत्री भागीरथसिंह जाति राजपूत
7. भंवरसिंह पुत्र भागीरथसिंह जाति राजपूत
8. भवानीसिंह पुत्र नारसिंह जाति राजपूत
9. मालसिंह पुत्र नारसिंह जाति राजपूत
10. मोहनीदेवी पुत्री बालूराम जाति कुम्हार
11. लक्ष्मीदेवी पुत्री बालूराम जाति राजपूत
12. लिछमणसिंह पुत्र नारसिंह जाति राजपूत
13. संजूकंवर पुत्री भागीरथसिंह जाति राजपूत
    निवासीयान ग्राम घाटवा तहसील कुचामन सिटी।
14. भूमिधारी जरिये तहसीलदार कुचामन सिटी।

मुकदमां नम्बर :— 100/2023 निर्णय दिनांक :— 09.12.2023

इनफिसाल कतई रूबरू.....बहाजरी श्री सुरेश अधिवक्ता वादीगण को डिक्री दी जाती हैं कि :—

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:39:56 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि राजस्व ग्राम घाटवा तहसील कुचामन सिटी की सरहद में कृषि भूमि नवीन खसरा नम्बर 599 रकबा 4.34 हैक्टर भूमि में मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकित भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर भू—विभाजन किया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

अंकन करने हेतु तहसीलदार को आदेश दिये जाते हैं। बंटवारा प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। उपतहसीलदार चितावा को तहरीर जारी हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11.12.2023 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखतः

ओहदा : उपखण्ड अधिकारी, नावां
नावां (डीडवाना-कुचामन)

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL	स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL
मीलान	NIL	NIL	मीजान	NIL	NIL

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:39:56 IST
Reason: SelfAttested